न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्रआर.ए.एस.

[प्रक]रण सं. 100/23
[आर]सीएमएस : 2023/220

1. राधेश्याम पुत्र श्री सुडाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 3 आई.एस.डब्ल्यू.बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)। —:वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र श्री सुडाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 3 आई.एस.डब्ल्यू.बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
2. सलोचना पुत्री श्री सुडाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 3 आई.एस.डब्ल्यू.बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
3. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिए तहसीलदार साहब राजस्व रायसिंहनगर।—:**प्रतिवादीगण**

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—92ए—53 आ. का.अधि.</u>

रजू तारीखः— 20.06.2023

स्थिति अधिवक्ताः—

1. श्री अजय धारणियां अधिवक्ता वादी।
2. एकपक्षीय कार्यवाही प्रति सं. 1 ता 2।

—:निर्णयः— दिनांकः 25.03.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि जमाबन्दी चक 3 आई.एस.डब्लयू बी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2073—2076 खतोनी सं. 30/22 मु.नं. 16 प.सं. 188/357 की 3.226 है० कमाण्ड मय खाला व मु.नं. 6 प.नं. 189/356 में 1.176 है0 कमाण्ड व मु.न. 15 प.नं. 189/357 में 3.315 है० कमाण्ड मय खाला व मु.नं. 22 प.नं. 189/358 में 0.227 है० कमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 7.944 है० कमाण्ड मय खाला वादी व प्रतिवादी सं. 1 राजेन्द्र की खातेदारी भूमि है जिसमें मुझ वादी का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा के मुताबिक वादी की 3.972 है० भूमि बनती हैं। चक 3 आई.एस.डब्ल्यू. बी तहसील रायसिंहनगर की जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 की खतौनी सं. 66/49 मु.नं. 15 प.नं. 189/357 में 0.253 है० कमाण्ड वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 की ब.हि.ब खातेदारी भूमि है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा तदादी 0.084 है० भूमि हिस्सा में आती है, मुझ वादी के नाम से दोनो खातों की 4.056 है० भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसका वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा काफी अरसा पूर्व से वाहमी बंटवारा किया हुआ है जो घरेलू बंटवारा निम्न प्रकार से है। (क) वादी राधेश्याम के हिस्सा व कब्जा काश्त में चक 3 आई.एस.डब्लयू बी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 16 प.सं. 188/357 के किलानम्बर 1/1 में 0.227, 1/2 में 0.026, 2/1 में 0.228, 2/2 में 0.025, 9 ता 12 प्रत्येक में 0.253, 13/1 में 0.190, 18 ता 23 प्रत्येक में 0.253 कुल 3.226 है० कमाण्ड मय खाला व मु.नं. 6 प.नं. 189/356 के किलानम्बर 8 में 0.253, व 13 में 0.228 हैक्टर कुल 0.481 हैक्टर व मु.नं. 15 प.नं. 189/357 के किलानम्बर 16/1 में 0.228, 16/2 में 0.025 हैक्टर कुल 0.253 हैक्टर, 21/2 में 0.019, 22 में 0.019, 23 में 0.019, 24 में 0.019, 25/1 में 0.020 हैक्टर कुल 0.349 हैक्टर कुल तादादी 4.056 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कब्जा काश्त में है। (ख) प्रतिवादी सं[illegible] अपने हिस्सा अनुसार काश्त करते है। उक्त भूमि को वादी काफी अर[illegible] उक्त वाहमी बंटवारा के अनुसार काबिज होकर काशत [illegible] काफी मेहनत खाद, कराहा इत्यादि लगाकर तथा काफी खर्चा लगाकर [illegible] कर रखा है व मु.नं. 15 प.नं. 189/357 के किलानम्बर 16 में ढाणी बनाकर निवास करता है, लेकिन उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता की होने के [illegible] वादी को अपनी भूमि का लगान, आबियाना इत्यादि जमा करवाने में काफी कठिनाई का सामना करना पडता है। वादी ने प्रतिवादीगण को अपने अपने हिस्सा व कब्जा अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने व विभाजन करवाने के लिए बमुकाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

चक 3 आई.एस.डब्ल्यू.बी. तहसील रायसिंहनगर में दिनांक 27.05.2023 को एक कब्जा काश्त के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने के लिए प्रतिवादीगण को कहा उन्होंने समय का अभाव बतलाते हुए सहमति से खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया तथा वादी के कब्जा काश्त वाली भूमि पर अपना अवैध कब्जा करने की धमकी दी जो यही तारीख बिनाय मुखासमत है तथा बिनाय दावा वादी को उक्त भूमि काफी अरसा से बांट अनुसार काबिज होने के रोज से प्राप्त है अगर प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादा में कामयाब होकर विवादित भूमि में अपने हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि से हटकर वादी के कब्जा काश्त की भूमि पर अपना अवैध कब्जा कर लेते है तो इससे वादी को ना पूरा होने वाला नुकशान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टतया मामला वादी का पूर्ण रूप से सिद्ध है कि वादी की उक्त भूमि में वादी ने फसल सावणी काश्त कर रखी है तथा पशुओं के लिए चारा भी बिजान किया हुआ है इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है वादी उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा अनुसार भूमि का विभाजन करवाने तथा उसी अनुसार वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अलग अमल दरामद करवाने का विधिक अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है कि वे वादी के कब्जा काशत के उक्त किलाजात में व ढाणी में दखलन्दाजी करने तथा जब तक भूमि का विभाजन नहीं हो जाता है तब तक उक्त भूमि में किसी भी भू–भाग को रहन बेय अथवा हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससे वादी अपने उक्त किलाजात के कब्जा से बेदखल होता हो। वाद वादी भूमि विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अपने कब्जा काशत के उपरोक्त किलाजात के विभाजन अनुसार अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतू अन्तर्गत धारा 88,92ए,53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के तहत पेश किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा अंदर मियाद व उचित न्याय शुल्क पर पेश है। भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है इसलिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से फैसला एवं डिक्री सादिर फरमाया जावे कि चक 3 आई.एस.डब्ल्यू. बी. तहसील रायसिंहनगर की खतोनी सं. 30/22 मु.नं. 16 प.सं. 188/357 की 3.226 है० कमाण्ड मय खाला व मु. नं. 6 प.नं. 189/356 में 1.176 है0 कमाण्ड व मु.नं. 15 प.नं. 189/357 में 3.315 है० कमाण्ड मय खाला व मु.नं. 22 प.नं. 189/358 में 0.227 है। कमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 7.944 है० कमाण्ड मय खाला में वादी के 1/2 हिस्सा 3.972 है० भूमि व इसी चक 3 आई.एस.डब्ल्यू, बी, तहसील रायसिंहनगर की खतौनी सं. 66/49 मुनं. 15 प.नं. 189/357 में 0.253 है० कमाण्ड भूमि में वादी की 1/3 हिस्सा तादादी 0.084 है० भूमि इस प्रकार दोनो खातों की 4.056 है० भूमि में से वादी की 4.056 हैक्टर भूमि जिसका बंटवारा वाद पत्र की मद संख्या 4 की उपमद संख्या (क) में दर्शाया गया है के अनुसार वादी का प्रतिवादीगण से खाता विभाजन किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अलग नामान्तरण किए जाने की डिक्री पारित की जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी के हिस्सा व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करने से तथा जब तक भूमि का विभाजन नहीं हो जाता है तब तक उक्त खाता में अपने किसी भी हिस्सा को रहन बेय व हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहें। अन्य अनुतोष जो बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण हो दिलाये जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं.. [illegible] की तरफ स्वयं प्रतिवादीगण व उनकी तरफ से किसी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं [illegible] में लाई गई। प्रति. सं. 3 की तरफ से राज[illegible]जाकोठी ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

पर विवादग्रस्त भूमि चक 3 आई.एस.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 30 व 66 मु.नं. 6–15–16 की कुल 8.197 है. नहरी मय खाला खातेदारी का हक एवं हिस्सा की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र राम/न्याय/स्था/प. 51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार पालना करते हुए तैयार कर खाता विभजानन प्रस्ताव भिजवाने हेतु न्यायालय द्वारा पत्र जारी किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/2025/1104 दिनांक 04.08.2025 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांकः भू.–अ/2025/6081 दिनांक 31.10.2025 द्वारा विवादग्रस्त भूमि चक 3 आई.एस.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 30 व 66 मु.नं. 6–15–16 की कुल 8.197 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1. राजेन्द्र पुत्र सुण्डाराम जाति बिश्नोई चक 3 आई.एस.डब्ल्यू.बी. 189/356 (6) कि. नं. 8–13–18–23/1.012 है., प.नं. 189/357 (15) 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.164, 5/2/.023, 6/1/.190, 7–14–17–18–19/1.265 है., प.नं. 189/357 (15) कि.नं. 23/.228, 24/.208 कुल 2.542 है., प.नं. 189/358 (22) कि.नं. 1/2/.227 है. कुल 3.781 है. नहरी मय खाला भूमि।
2. राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम जाति बिश्नोई सा.देह खातेदार रहन बदस्तुर चक3 आई. एस.डब्ल्यू.बी. प.नं. 189/357 (15) कि.नं. 15/1/0.038, 5/2/0.028, 6/2/0.025, 6/1/0.038, 15/1/0.037, 15/2/0.025, 16/1/0.208, 16/2/0.025, 25/1/.227, 25/.026 योग 0.697है. कमाण्ड, प.नं. 188/357 (16) 1/1/.227, 1/2/.026, 2/1/.228, 2/2/0.025, 9 ता 12–18 ता 23/2.530 है., 13/1/0.190 कुल 3.226 है. कुल 3.923 है. कमाण्ड मय खाला भूमि।
3. राजेन्द्र–राधेश्याम पि. सुण्डाराम जाति बिश्नोई सा. देह. खातेदार ब.हि.ब.रहन बदस्तुर चक3 आई.एस.डब्ल्यू.बी. प.नं. 189/356 (6) 24/2/.164, प.नं. 189/357 (15) कि.नं. 21/2/0.026, 22/0.026, 23/0.025, 24/0.025 कुल 0.266 है. कमाण्ड रास्ते हेतु। राजेन्द्र 0.142 है. सलोचना 0.085 है. जाति बिश्नोई सा. देह खातेदार प.नं. 189/357 (15) 22/.227 है. कमाण्ड भूमि।
4. बहस एकपक्षीय अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण के अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार रायसिहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 3 आई.एस.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 30 व 66 मु.नं. 6–15–16 की कुल 8.197 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में से वादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित [illegible]

Signature Not Verified

1. राजेन्द्र पुत्र सुण्डाराम जाति बिश्नोई चक 3 आई[illegible] 189/356 (6) कि.नं. 8–13–18–23/1.012 है.,प.नं. 189/357 (15) 4/1/[illegible]4/2/.025, 5/1/.164, 5/2/.023, 6/1/.190, 7–14–17–18–19/[illegible] है., 15/1/.191, प.नं. 189/357 (15) कि.नं. 23/.228, 24/.228 कुल 2.542 है., प.नं. 189/358 (22) कि. नं. 1/2/.227 है. कुल 3.781 है. नहरी मय खाला भूमि।

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

2. राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम जाति बिश्नोई सा.देह खातेदार रहन बदस्तुर चक 3 आई.एस. डब्ल्यू.बी. प.नं. 189/357 (15) कि.नं. 5/1/0.038, 5/2/0.028, 6/2/ 0.025, 6/1/0.038, 15/1/0.037, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025,

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

25/1/.227, 25/2/.026 योग 0.697है. कमाण्ड, प.नं. 188/357 (16) 1/1/.227, 1/2/.026, 2/1/.228, 2/2/0.025, 9 ता 12–18 ता 23/2.530 है., 13/1/0.190 कुल 3.226 है. कुल 3.923 है. कमाण्ड मय खाला भूमि।

3. राजेन्द्र–राधेश्याम पि. सुण्डाराम जाति बिश्नोई सा. देह. खातेदार ब.हि.ब.रहन बदस्तुर चक 3 आई.एस.डब्ल्यू.बी. प.नं. 189/356 (6) कि.नं. 24/2/.164, प.नं. 189/357 (15) कि.नं. 21/2/0.026, 22/0.026, 23/0.025, 24/0.025 कुल 0.266 है. कमाण्ड रास्ते हेतु। राजेन्द्र 0.142 है., सलोचना 0.085 है. जाति बिश्नोई सा. देह खातेदार प.नं. 189/357 (15) कि.नं. 22/.227 है. कमाण्ड भूमि।

रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner